न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.
अपील संख्या 82/2017

किशोर सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति रायसिख निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू–रा.अ.1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ
दिनांक 03.03.2008

उपस्थितिः–

श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 29/11/18

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 03.03.2008 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चक 7 एफ.डी.एम. के प.नं.100/337 की 25 बीघा भूमि के आवंटन का प्रा.पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि उक्त भूमि पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित भूमि पर अपीलांट का 1980 से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसे वह आवंटन करवाने का अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है जिसकी जानकारी होने पर, नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 03.03.2008 के विरूद्ध दिनांक 11.08.2017 को पेश की

है। अपीलांट के अधिवक्ता अधी. न्यायालय में उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया हो। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित है जिसका किसी अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता। अतः अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 03.03.2008 के विरूद्ध दिनांक 11.08.2017 को लगभग 9 वर्ष 5 माह विलम्ब से पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अपीलाधीन आदेश में यह अंकित है कि वकील प्रार्थी उपस्थित जिसे सुना गया, जब अधी. न्यायालय में अपीलांट का वकील उपस्थित था। उसे सुनकर आदेश पारित किया गया है तो ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलाधीन आदेश बिना सुने पारित किया गया हो। अपीलांट ने अपने प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अधी. न्यायालय की पत्रावली में अपने अधिवक्ता की उपस्थिति के तथ्य के अंकन बाबत कुछ भी अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाना उचित नहीं होने से अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है विवादित भूमि पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित है जिससे अपीलांट ने भी इन्कार नहीं किया है। अपीलांट स्वयं ने अंकित किया है कि उसने इस विवादित रकबा को पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित रकबा की सूची से बाहर निकालने की कार्यवाही कर रखी है। यह निविर्वाद है कि पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि किसी अन्य को आवंटित किये जाने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अधी. न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलांट

मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण पर खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29/11/2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर